न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 134/2019 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. लोकचन्द पुत्र स्व0 मोहर सिंह कथित दत्तक पुत्र मु0 धापा बेवा देवाराम जाति यादव निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:——— प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 वीरसिंह पुत्र मोहर सिंह जाति यादव निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर

2 मु0 ग्यारसी बेवा मोहरसिंह जाति यादव (मृतक)

2/1 मैना पुत्री मोहरसिंह पत्नि लीलाराम जाति यादव निवासी ग्राम भीटेडा तहसील बहरोड जिला अलवर

2/2 कमला पुत्री मोहरसिंह पत्नि रामकिशन जाति यादव निवासी गुडगांवा हरियाणा

2/3 लाली उर्फ कमला पुत्री मोहरसिंह पत्नि गजराज सिंह जाति यादव निवासी जनोला तह0 पटौदी हरियाणा

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनांक 27.8.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री नरेश चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :– श्री मनीष कुमावत

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 8.10.2021

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/2015 बाबत इस्तकरारहक व हुकम इम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 27.8.2019, जिसके द्वारा उक्त वाद डिक्री किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 01 का पिता व वादनी संख्या 02 का पति मोहरसिंह दिनांक 24.7.1996 को वादीगण को अपने वारिस छोड कर मरा था तथा प्रतिवादी संख्या 01, जो मृतक मोहररिंह का बेटा था, को मु0 धापा बेवा देवाराम ने दिनांक 4.6.58 को गोद ले लिया था । उक्त गोदनामा उप पंजीयक, बहरोड के यहां से पंजीकृत कराया गया है । तब से प्रतिवादी नम्बर 01 का धापा की जायदाद से सम्बन्ध है । वादीगण के पिता व पति की छोडी गई जायदाद से प्रतिवादी नम्बर 01 का कानूनन कोई सम्बन्ध नहीं है । वादी संख्या 01 का पिता व वादी संख्या 02 का पति आराजी हाल खसरा नम्बर 155/0.22, 303/0.36, 674/0.14, 687/0.30, 801/0.50, 807/0.11, 1503/0.11 हेक्टेयर वाके ग्राम रोडवाल कुल किता 7 रकबा 1.74 हेक्टेयर सालिम तथा आराजी खसरा नम्बर 886/0.18, 903/0.08, 1004/0.17, 1061/0.14 हेक्टेयर वाके ग्राम रोडवाल के निस्फ भाग का खातेदार काश्तकार था । उक्त आराजीयात से प्रतिवादी नम्बर 01 का कोई सम्बन्ध नहीं है । ना ही हमने प्रतिवादी नम्बर 01 को कभी उक्त आराजी जरिये रहन, बय, हिबा, तबादला आदि से मुंतकिल की । परन्तु ग्राम पंचायत ने साजबाज होकर प्रतिवादी नम्बर 01 को मोहरसिंह का तीसरा वारिस मानते हुये उक्त आराजीयात इंतकाल नम्बर 115 दिनांक 25.1.1997 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम दर्ज कर दी । जो गलत है, क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 01 धापा के गोद चला गया था । इसलिये अब उसका मोहरसिंह की भूमि में कोई हक नहीं रहा । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र निर्णय दिनांक 27.8.2019 के द्वारा डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने यह अपील पेश की है ।

3 वहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मेरा जन्म दिनांक 8.5.1955 को हुआ है तथा कथित गोदनामा दिनांक 4.6.1958 का होना बताया गया है । इस प्रकार उक्त कथित गोदनामा के समय मेरी उम्र केवल 03

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

साल की थी । इतना ही नहीं, जिस समय कथित गोदनामा होना बताया गया है, उस समय मेरे पिता मोहर सिंह के मैं अकेला पुत्र था । वादी रेस्पो0 वीरसिंह का जन्म बाद में दिनांक 30.8.1960 को हुआ है । कानूनन इकलौता पुत्र को गोद नहीं दिया जा सकता । मैं कभी मु0 धापा के बतौर दत्तक पुत्र नहीं रहा हूं । मेरे सभी दस्तावेज यथा शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि में मेरे वास्तविक पिता मोहर सिंह का ही नाम दर्ज है । ग्राम पंचायत ने सही तौर पर विरासत का इंतकाल मेरे नाम दर्ज किया है । विवादित भूमि में विरासतन मेरा 1/3 हिस्सा बनता है और 1/3 हिस्से का ही विरासत का इंतकाल मेरे नाम स्वीकार हुआ है । उक्त इंतकाल की इन्होंने अपील नहीं की है । इनको वाद पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है । इंतकाल की अपील करनी चाहिये थी । कथित गोदनामा तहत अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही उक्त कथित गोदनामा को साक्ष्य से साबित कराया । मैं मु0 धापा के गोद गया ही नहीं । मेरी सम्पूर्ण परवरिश मेरे प्राकृतिक पिता मोहररसिंह ने की है । तहत अदालत ने मुझे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । मेरी इकतरफा कार्यवाही कर दी गई थी । उक्त इकतरफा कार्यवाही के खिलाफ मैने प्रार्थना पत्र पेश किया, जो स्वीकार कर लिया गया था । ऐसी स्थिति में मुझे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही निर्णय पारित करना चाहिये था ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि अपीलांट मु0 धापा के गोद चला गया था । उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड है । रजिस्टर्ड दस्तावेज को साक्ष्य से साबित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलांट जब गोद चला गया तो कानूनन उसका अपने प्राकृतिक पिता की चल अचल सम्पत्ति में हक नहीं रहा । परन्तु अपीलांट ने चालाकी से अपने पिता मोहररसिंह की विरासत का इंतकाल अपने नाम दर्ज करा लिया । अपीलांट का यह कथन गलत है कि विरासत इंतकाल की हमको अपील करनी चाहिये, क्योंकि वाद पत्र में भी इंतकाल को बातिल व बेअसर करार दिया जा सकता । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील ,खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1998 आर0 आर0 डी0 पेज 518 पेश किया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम इस बिन्दू पर गौर किया कि क्या तहत अदालत में प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्राप्त हुआ था अथवा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

नहीं । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया । प्रतिवादी अपीलांट द्वारा तहत अदालत में जवाब दावा पेश कर दिया गया था । प्रतिवादी की इकतरफा कार्यवाही कर दी गई थी, जिसे खुलवाने हेतु प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 पेश किया था, जो तहत अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । तहत अदालत ने अपने निर्णय में एक तरफ तो वकुलाय की बहस सुनना अंकित किया है तो दूसरी तरफ केवल वादी के वकील की उपस्थिति अपने निर्णय में दर्ज कर रखी है । इसका क्या तात्पर्य है । क्या प्रतिवादी के वकील उपस्थित नहीं थे । अगर उपस्थित नहीं थे तो फिर वकुलाय की बहस सुनना क्यों अंकित किया और अगर उपस्थित थे तो फिर उपस्थिति में प्रतिवादी के वकील का नाम क्यों अंकित नहीं किया । अगर यह मान भी लिया जावे कि वकील प्रतिवादी उपस्थित थे और उन्होंने बहस की थी तो फिर तनकीवार निर्णय पारित क्यों नहीं किया, जबकि प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर दिया गया था और 4 तनकियात भी कायम कर दी गई थी । इस प्रकार स्पष्ट है कि यहां आदेश 20 नियम 5 की पालना तहत अदालत द्वारा नहीं की गई है ।

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट है कि तहत अदालत ने प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर प्रतिवादी की इकतरफा कार्यवाही खोल दी गई थी । लिहाजा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.8.2019 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 8.11.2021 को उपस्थित हो ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

8/10/2021

(अशोक कुमार सोखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर